न्यायालय उप जिला कलेक्टर वजीरपुर जिला स0मा0

मु0न0	ता0रजू	निर्णय दिनांक
26/2020	28.2.2020	16.12.2021

पीठासीन अधिकारी:- श्री जवाहर लाल जैन {आर.ए.एस.}

1. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर

प्रार्थी

बनाम

1. गोपाल पुत्र मूलचंद
2. दुर्गेश पुत्र राधेश्याम जातियान छीपी निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर

अप्रार्थीगण

प्रार्थी की ओर से सरकार पैरोकार
रेस्पोडेंट की ओर से संजय शर्मा एडवोकेट

<u>प्रार्थना पत्र तहत धारा 177 आर0टी0 एक्ट</u>

:- नि र्ण य :-

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत् धारा 177 आर0टी0 एक्ट के तहत पेश किया है जिसका संक्षेप में विवरण इस प्रकार से है कि

1. यह कि ग्राम वजीरपुर के आराजी खसरा नंबर 5611/3464 रकवा 0.0331 हे0 मे से 0. 0107 है0 तथा खसरा नंबर 5612/3464 रकवा 0.0115 है0 किस्म बारानी 1 कुल 0.0222 है0 में (16 मी. x 13.875 मी.) पर गोपाल पुत्र मूलचंद छीपी, दुर्गेश पुत्र राधेश्याम छीपी निवासी वजीरपुर के नाम मुताबिक जमाबंदी संवत 2068 से 2071 खातेदारी दर्ज है।

2. यह कि मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का उक्त आराजियात में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 ने बिना किसी सक्षम स्वीकृति के मोबाईल टावर लगा लिया है।
3. यह कि आराजी खसरा नंबर 5611/3464 रकवा 0.0331 हे0 मे से 0.0107 है0 तथा खसरा नंबर 5612/3464 रकबा 0.0115 है0 कृषि भूमि है जिसमें प्रतिवादी द्वारा बिना किसी स्वीकृति के कोई भूमि परिवर्तन करवाये 0.0222 वर्गमीटर में मोबाईल टावर लगा लिया है जो अवैधानिक है।
4. यह कि प्रतिवादीगण द्वारा कृषि भूमि को बिना किसी सक्षम आदेश के अकृषि कार्यो में उपयोग किया गया है जो राजस्थान काश्तकारी अधि0 के प्रावधानों के विपरीत है। भूमि को सिवायचक किया जाना न्यायोचित है।
5. यह कि प्राईमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के हक में है इसलिये अदालत हाजा से गुजारिश है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि आराजी खसरा नंबर 5611/3464 रकवा 0.0331 हे0 मे से 0.0107 है0 तथा खसरा नंबर 5612/3464 रकबा 0.0115 है0 मे से 0.0222 है0 में (16 मी.गुणा 13.875 मी.) वाके ग्राम वजीरपुर को सिवायचक घोषित किया जावे। अप्रार्थीगण को भूमि बेदखल किया जावे। इस प्रकार उपरोक्त आराजीयात को सिवायचक करने हेतु निवेदन किया गया।

उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर, जिला-स.मा.

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई।

प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनने के बाद प्रकरण में दिनांक 30.06.17 को लोक अदालत में न्यायालय सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी में राजीनामा पेश किये जाने पर, प्रकरण राजीनामें के आधार पर अप्रार्थीगणों को खसरा नंबर खसरा नंबर 5612/3464 ग्राम वजीरपुर में बने टावर की भूमि का 4 माह की अवधि में संपरिवर्तन करा लेने एवं 4 माह की अवधि में संपरिवर्तन नही कराने की स्थिति में खसरा नंबर 5612/3464 रकबा 0.0115 है0 ग्राम वजीरपुर में से 0.0222 है0 (जहां टावर स्थित है) को 4 माह पश्चात सिवायचक दर्ज करने के आदेश (निर्णय) पारित किये थे।

अप्रार्थीगण द्वारा इस आदेश (निर्णय) की अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर में की गई थी। जिसमें माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा दिनांक 20.01.2020 को निर्णय पारित कर आदेश दिया कि अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी के मु0 नं0 151/13 निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.17 को अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रेषित किया गया कि प्रकरण में उभयपक्षो को समुचित अवसर प्रदान किया जाकर नियमों के परिपेक्ष्य में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

पत्रावली न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी से प्राप्त हुई एवं दिनांक 28.02.20 को दर्ज रजिस्टर की गई की गई।

माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 20.01.2020 के अनुसार प्रकरण में उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। प्रतिवादीगण द्वारा उपरोक्त खसरा नंबरो का संपरिवर्तन करवाने के संबन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किये कि यदि उन्हें 6 माह का समय दिया जाता है तो वे उक्त भूमि का संपरिवर्तन करवा लेंगे। इसी प्रकार तहसीलदार वजीरपुर ने भी यदि प्रतिवादीगण को उक्त भूमि का संपरिवर्तन करवाने हेतु 6 माह का समय दिया जाता है तो अपनी अनापत्ति जाहिर की है। उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया एवं उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया। हम उक्त विवेचन के आधार पर विवादित आराजीयात का अप्रार्थीगणों को संपरिवर्तन करवाने हेतु समय दिया जाना उचित/न्यायोचित समझता हूं।

अतः प्रथमतया तहसीलदार वजीरपुर को आदेश दिया जाता है कि उक्त विवादित आराजीयात खसरा नंबर 5611/3464 रकबा 0.0331 हे0 मे से 0.0107 है0 तथा खसरा नंबर 5612/3464 रकबा 0.0115 है0 भूमि वाके ग्राम वजीरपुर बी (जिसमें मोबाईल टावर स्थापित है) की किस्म पुनः सिवायचक से पूर्व रिकॉर्ड में अंकित खातेदारों के नाम खातेदारी दर्ज की जावे एवं साथ ही अप्रार्थीगणों को आदेश दिया जाता है कि भूमि के खातेदारी दर्ज होने के 6 माह पश्चात तक भूमि का संपरिवर्तन करवा लेवे अन्यथा तहसीलदार वजीरपुर उपरोक्त खसरा नंबरो के संबन्ध में नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जवाहर लाल जैन)
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर